


आदेश

जनपद में कोविड की संभावित लहर एवं भीषण गर्मी के परिप्रेक्ष्य में तथा वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों के बन्द होने को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में संचालित आंगनबाडी केन्द्रों का ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक-15 जून 2022 तक घोषित किया जाता है।

अवकाशावधि में आंगनबाडी कार्यकर्त्रियों द्वारा केन्द्रों को खोलते हुए शासकीय कार्य सम्पादित कर नियमानुसार पोषाहार वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।


(नवनीत सिंह चहल),
जिलाधिकारी,
मथुरा।

कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा।

पत्रांक (-३१) / जि०का०अ० / केन्द्र-संचालन / 2022-23

दिनांक-02/06/22

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी, मथुरा।
- 3- जिला कार्यक्रम अधिकारी, मथुरा।
- 4- जिला सूचना अधिकारी, मथुरा।
- 5- समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, मथुरा।
- 6- सम्पादक, अमर उजाला, दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान को इस आशय से कि आप उक्त सूचना को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में जनहित में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।


जिलाधिकारी,
मथुरा।